नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13.8.19 को पेश हो।	
13.8.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. पत्र किया गया। मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.8.19 को पेश हो।	
23/8/19	जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उपखण्ड पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.8.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
27.8.19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 268 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो ग्राम खेड़ा देवपुरा पटवार हल्का रईका तहसील मांडल मे स्थित है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी के आराजी सं. 269 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा की पश्चिमी मेड़ पर स्थित डोटेड लाईन से दर्शित भू-भाग मे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की ईस्तदुआ की। : : आदेश : : वकील प्रार्थीगण ने ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजो पर अध्ययन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम खेड़ा देवपुरा पथार हल्का टहुका तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 268 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं 269 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा की पश्चिमी मेड़ पर स्थित डोरेड लाईन के सहारे-सहारे उपरोक्त आराजी मे यानि आराजी नं. 269 मे से 02 बिस्वा यानि 16 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है 16 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कर आने वाली भूमि की D.L.C की दर से डबल गणना करते हुए प्रार्थीगण से राशि जरिये D.D. या नकद प्राप्त कर विपक्षी को भुगतान करे। भुगतान होने पर रास्ते मे आने वाली भूमि को विपक्षी के खाते मे से कम की जावे और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	[illegible] दफ्जी, मण्डल के कि पालना [illegible] किन्हु वार 1. [illegible] लिखित [illegible] 2. मौके [illegible] 3. आ.प. 4. वर्तमान 5. [illegible] 6. [illegible] 7. मौके 990 13-8-19 श्रीमान को सेवा में पेश [illegible]